उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 1225 /XXX(2)/2013 3(2)2011 T.C.
देहरादूनः दिनांकः 19 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का 'पिछड़ापन', लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता तथा प्रशासन में कुशलता के बिन्दुओं पर आंकड़े संग्रह करके उसका अध्ययन कर उक्त वर्गो के लिए लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को संस्तुति एवं रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन अधिसूचना संख्या 903/XXX(2)/2012 दिनांक 5 सितम्बर, 2012 द्वारा किया गया है। तदोपरान्त अन्तिम बार अधिसूचना संख्या 874//XXX(2)/2013, दिनांक 13 अगस्त, 2013 द्वारा मा. आयोग का कार्यकाल दिनांक 15 दिसम्बर, 2013 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2– उक्त के कम में मा. अध्यक्ष एकल सदस्यीय आयोग के पत्र सं0 143/ए.सद.आ./12 दिनाँक 20 नवम्बर, 2013 में वर्णित तथ्यों का संज्ञान लेते हुए सम्यक विचारोपरान्त एकल सदस्यीय आयोग का कार्यकाल 16 दिसम्बर, 2013 से 28 फरवरी, 2014 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। मा. आयोग द्वारा यथा सम्भव अपनी संस्तुति एवं रिपोर्ट उक्त अवधि के भीतर ही राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्याः 1225 /XXX(2)/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा को मा. अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. सचिव, प्रोन्नति में आरक्षण विषयक (एकल सदस्यीय आयोग) 29, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
13. महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चैक, उत्तराखण्ड शासन।
16. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को वैबसाइड में रखने हेतु।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(रमेश चन्द्र लोहनी)